

७२०१६/८२२

(९९)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल  
प्रकरण क्रमांक /निगरानी/ 2014 निमा- 1891-II-14

रमेश पुत्र श्री हरिप्रसाद आयु वयस्क,  
निवासी एवं कृषक ग्राम गोपालपुरा  
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमान् अध्यक्ष  
राजस्व मंडल ग्वालियर  
निमा- 1891-II-14  
ग्राम गोपालपुरा  
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर  
म0प्र0 शासन

बापू सिंह आ. श्री करण सिंह आयु वयस्क,  
निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर  
म0प्र0 शासन

रेस्पाण्डेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदे  
दिनांक 13/09/2013 प्रकरण क्रमांक 117/अ-12/12-13  
(बापू सिंह विरुद्ध शासन) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय  
तहसीलदार महोदय श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित कि  
गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैं:-

01. प्रकरण क्रमांक 117/ए-12/12-13 (बापू सिंह विरुद्ध<sup>शासन)</sup> ग्राम गोपालपुरा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर न्याया  
श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सीहोर म0प्र0

श्रीमान् जी,


निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ अपर तहसीलदार महोदय, के न्याय  
द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निमांकित तथ्यों एवं विधिक अ  
पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी— 1891—दो/14

जिला—सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ षक आदि के हस्ताक्षर
9-5-17 भोपाल	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाणुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p>  <p style="text-align: right;">सरदार सyेद</p>	